राज्य सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर

(राज्य सरकार स्तर की कार्यवाही एवं नागरिकों के अधिकार)

(1) राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/निःशुल्क	समयावधि
1.	**आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ :** संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	50000 वर्ग मीटर से अधिक	रूपये 7.5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 7.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	जिला कलक्टर, स्तर तक कार्यवाही 30 दिवस एवं राज्य सरकार के स्तर पर अवधि 60 दिवस।
2.	**वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ :** संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	5000 वर्ग मीटर से अधिक (रिसोर्ट शामिल हैं)	रूपये 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	जिला कलक्टर, स्तर तक कार्यवाही 30 दिवस एवं राज्य सरकार के स्तर पर अवधि 60 दिवस।
3.	**औद्योगिक प्रयोजनार्थ :** संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	10 हैक्टेयर से अधिक(टूरिज्म यूनिट शामिल है)	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	जिला कलक्टर, स्तर तक कार्यवाही 30 दिवस एवं राज्य सरकार के स्तर पर अवधि 60 दिवस।
4.	**लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ :** संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	10000 वर्ग मीटर से अधिक	10000 वर्गमीटर कोई प्रिमियम राशि देय नहीं है, लेकिन 10000 वर्गमीटर से अधिक पर रुपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	जिला कलक्टर, स्तर तक कार्यवाही 30 दिवस एवं राज्य सरकार के स्तर पर अवधि 60 दिवस।
5.	**संस्थागत प्रयोजनार्थ :** संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	5000 वर्ग मीटर से अधिक	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	जिला कलक्टर, स्तर तककार्यवाही 30 दिवस एवं राज्य सरकार के स्तर पर अवधि 60 दिवस।

6.	**चिकित्सा सुविधा प्रयोजनार्थ:** संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	5000 वर्ग मीटर से अधिक	रूपये 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	जिला कलक्टर, स्तर तक कार्यवाही 30 दिवस एवं राज्य सरकार के स्तर पर अवधि 60 दिवस।
7.	**सेज (SEZ)प्रयोजनार्थ :** संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	केवल राज्य सरकार सक्षम है।	रूपये 7.5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 7.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	जिला कलक्टर, स्तर तक कार्यवाही 30 दिवस एवं राज्य सरकार के स्तर पर अवधि 60 दिवस।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1 (A). सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाना।

क्र.सं.	आवेदन कहा प्रस्तुत किया जावेगा	लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी	सूचना देने हेतु निर्धारित अवधि	सूचना देने हेतु निर्धारित शुल्क
1.	आवेदन लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।	<u>(a) राजस्व मण्डल हेतु :-</u> (1) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा नामित सदस्य, राजस्व मण्डल राज., अजमेर (लो.सू.अ.) (2) अति. निबन्धक (न्याय) रा.म.राज, अजमेर (सहा.लो.सू.अ.) (3) अति. निबन्धक (वि एवं ले.), रा.म. राज, अजमेर (सहा.लो.सू.अ.) (4) उप निबन्धक प्रशासन, रा.म.राज, अजमेर (सहा.लो.सू.अ.)	(1) आवेदन प्राप्त होने से 30 दिवस में। (2) जहां अतिरिक्त फीस जमा करवाने की अपेक्षा की गई हो तो फीस जमा करवाने का सूचना पत्र जारी करने से शुल्क राशि प्राप्ति की अवधि की गणना निर्धारित 30 दिवस में नहीं की जायेगी। (3) सहा. लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करने पर अवधि 5 दिवस अधिक होगी। (4) किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सबंधित सूचना 48 दिवस में दी जावेगी।	(1) आवेदन पत्र के साथ 10/- रुपये नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक से शुल्क देना होगा। (2) जहां अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने की अपेक्षा की गई हो शुल्क निम्न प्रकार होगा जो नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक से देना होगा। (क) बनाये गये या नकल किये गये (ए-4 या ए-3) आकार के कागज के लिए 2 रुपये । (ख) बडे आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत।

		(5) उप निबन्धक (भू.अ.) रा.म.राज, अजमेर (सहा.लो.सू.अ.) (6) उप निबन्धक (जांच) रा.म.राज, अजमेर (सहा.लो.सू.अ.) **(b) जिला कलेक्टर हेतु :-** (1) अति. जिला कलेक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी। (लो.सू.अ.) (2) जिला कलेक्टर द्वारा नामित पदाधिकारी। (सहा.लो.सू.अ.) **(c) उपखण्ड अधिकारी कार्यालय हेतु :-** (1) उपखण्ड अधिकारी (लो.सू.अ.) (2) जिला कलेक्टर द्वारा नामित पदाधिकारी। (सहा.लो.सू.अ.) **(d) तहसीलदार कार्यालय हेतु :-** (1) तहसीलदार (लो.सू.अ.) (2) जिला कलेक्टर द्वारा नामित पदाधिकारी। (सहा.लो.सू.अ.)	(5) यदि तृतीय पक्ष का हित निहित है तो सूचना अवधि 40 दिवस होगी।	(ग) सेम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक कीमत लागत। (घ) अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टे के लिये कोई फीस नहीं और उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5 रूपये (च) डिस्क या फ्लापी में दी गई सूचना के लिए प्रति डिस्क या प्लॉपी 50 रूपये। (छ) मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन से उदाहरणों की फोटो प्रति के लिए प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रुपये।

1 (B). सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अपील

क्र.सं.	अपील विवरण	अपील प्राधिकारी	अपील हेतु निर्धारण अवधि	अपील निस्तारण अवधि
1.	प्रथम अपील	**(a) राजस्व मण्डल हेतु :-** अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राज., अजमेर **(a) जिला कलेकटर/ उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार कार्यालयों हेतु :-** जिला कलेक्टर	लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दी जाती है तो सूचना अवधि से 30 दिवस में एवं लोक सूचना अधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो दिवस अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।	अपील प्राधिकारी अपील प्राप्ति से 30 दिवस में अपील का निस्तारण करेगा, इससे अधिक समय लगने पर जो 45 दिवस से अधिक नहीं होगे की दशा में अपील प्राधिकारी द्वारा कारण अभिलिखित किया जायेगा
2.	द्वितीय अपील	(राज्य लोक सूचना अधिकारी, जयपुर समस्त कार्यालयों हेतु)	अपील प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित होने पर निर्णय की प्राप्ति तिथि से अथवा निर्धारित अवधि में निर्णीत नहीं होने पर राज्य सूचना अधिकारी को 90 दिवस में अपील की जा सकेगी।	अवधि निर्धारित नहीं है।

नोट -

यद्यपि नागरिक अधिकार पत्र का नियमों/प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार मण्डल स्तर पर परीक्षण कर लिया गया है, किन्तु किसी प्रकार की विसंगति होने पर मूल नियम/प्रावधान/निर्देश ही लागू होंगे।